अध्याय– I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2009–10 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	ब्योरे	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	3,561.10	4,033.08	5,085.53	6,172.74	8,089.67
	• कर भिन्न राजस्व	522.30	511.28	525.59	1,153.32	1,670.42
	कुल	**4,083.40**	**4,544.36**	**5,611.12**	**7,326.06**	**9,760.09**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	10,420.59	13,291.72	16,766.29	17,692.51	18,202.58
	• सहायता अनुदान	3,332.72	5,247.11	5,831.67	7,962.12	7,564.16
	कुल	**13,753.31**	**18,538.83**	**22,597.96**	**25,654.63**	**25,766.74**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ[1] (1 एवं 2)**	**17,836.71**	**23,083.19**	**28,209.08**	**32,980.69**	**35,526.83**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**23**	**20**	**20**	**22**	**27**

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य सरकार ने विगत वर्ष के 22 प्रतिशत के विरूद्ध कुल राजस्व प्राप्तियों का 27 प्रतिशत राजस्व (₹ 9,760.09 करोड़) सृजित किया। वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्तियों का शेष 73 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। यद्यपि, वर्ष 2008–09 की अपेक्षा वर्ष 2009–10 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 32,980.69 करोड़ से बढ़कर ₹ 35,526.83 करोड़ हुई जबकि वर्ष 2009–10 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 397.96 करोड़ की ह्रास हुई। वर्ष 2008–09 के

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2009–10 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11 लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – 0020 निगम कर, 0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 – आय और व्यय पर अन्य कर, 0032 – सम्पत्ति पर कर, 0037 – सीमा शुल्क, 0038 – संघीय उत्पाद शुल्क, 0044 – सेवा पर कर एवं 0045 – वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क – लघु शीर्ष 901 – निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

₹ 7,326.06 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 9,760.09 करोड़) में 33.22 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से कर राजस्व में 31.05 प्रतिशत की वृद्धि एवं कर भिन्न राजस्व में 44.84 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई, जैसाकि कंडिका 1.1.2 एवं 1.1.3 में वर्णित है। राज्य द्वारा सृजित राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्तरवर्ती वर्षों में बनाए रखने की आवश्यकता है।

1.1.2 निम्न तालिका वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	वर्ष 2008–09 की अपेक्षा 2009–10 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर / मूल्य वर्द्धित कर	1,733.60	2,081.49	2,534.80	3,016.47	3,839.29	(+) 27.28
2.	राज्य उत्पाद	318.59	381.93	525.42	679.14	1,081.68	(+) 59.27
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस						
	मुद्रांक न्यायिक	505.29	455.02	654.15	716.19	53.81	(+) 39.33
	मुद्रांक न्यायिकेतर					708.62	
	निबंधन फीस					235.47	
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	18.06	62.84	64.05	67.62	66.63	(–) 1.46
5.	वाहनों पर कर	302.44	181.38	273.21	297.74	345.13	(+) 15.92
6.	माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	613.38	783.01	937.87	1,279.41	1,613.16	(+) 26.09
7.	भू–राजस्व	55.02	74.65	82.10	101.74	123.96	(+) 21.84
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	14.72	12.76	13.93	14.43	21.92	(+) 51.91
कुल		**3,561.10**	**4,033.08**	**5,085.53**	**6,172.74**	**8,089.67**	**(+) 31.05**

संबंधित विभागों ने वर्ष 2008–09 की तुलना में 2009–10 के दौरान कर राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया:

राज्य उत्पाद : यह वृद्धि (59.27 प्रतिशत) नई उत्पाद नीति के तहत् खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस : यह वृद्धि (39.33 प्रतिशत) राज्य के शहरी क्षेत्रों के न्यूनतम मूल्य पंजी को अप्रैल 2009 से पुनरीक्षित किए जाने के कारण हुई।

माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2010) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किए थे (दिसम्बर 2010)।

1.1.3 निम्न तालिका वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	वर्ष 2008–09 की अपेक्षा 2009–10 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	216.07	175.99	170.71	304.57	353.27	(+) 15.99
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	8.89	6.35	6.64	6.15	6.78	(+) 10.24
3.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	100.90	127.65	178.66	245.00	319.93	(+) 30.58
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	11.77	20.88	3.02	385.82	770.28	(+) 99.65
5.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	10.82	10.95	9.67	10.64	14.80	(+) 39.10
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	15.10	17.52	21.07	17.25	14.08	(–) 18.38
7.	मत्स्य पालन	5.69	6.09	6.57	6.87	7.87	(+) 14.56
8.	पथ एवं पुल	12.05	16.75	17.95	26.40	30.02	(+) 13.71
9.	पुलिस	6.00	10.53	23.47	9.44	11.89	(+) 25.95
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	34.21	20.28	12.00	8.09	9.42	(+) 16.44
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	100.80	98.29	75.83	133.09	132.08	(–) 0.76
कुल		**522.30**	**511.28**	**525.59**	**1,153.32**	**1,670.42**	**(+) 44.84**

जैसाकि संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, **'अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग'** के अंतर्गत वृद्धि (30.58 प्रतिशत) बालू घाटों के नीलामी राशि में वृद्धि के कारण हुई।

माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2010) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किए थे (दिसम्बर 2010)।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.2.1 उत्तरदायित्वों को लागू करने एवं राज्य सरकार के हितों को सुरक्षित रखने में वरीय पदाधिकारियों की निष्क्रियता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के रूप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का सुधार कर निरीक्षण प्रतिवेदन भेजे जाने के एक महीने के अन्दर

प्रधान महालेखाकार को प्राथमिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2009 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा से स्पष्ट था कि जून 2010 के अंत तक 4,150 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 7,876.02 करोड़ से सन्निहित 21,968 कंडिकाएँ लंबित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के तत्सबंधी आँकड़ों के साथ नीचे दी गई है:

	जून 2008	जून 2009	जून 2010
बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,564	3,855	4,150
लंबित कंडिकाओं की संख्या	18,997	20,552	21,968
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	4,358.62	5,009.24	7,876.02

30 जून 2010 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि निम्न सारणी में दी गई है:

क्रम सं0	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वित्त (वाणिज्य कर)	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर	540	5,315	2,571.82
		प्रवेश कर	143	288	116.70
		विद्युत शुल्क	21	25	16.74
		मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	13	19	0.54
2.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	376	1,948	805.13
3.	राजस्व	भू–राजस्व	1,505	6,518	773.55
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	427	3,142	1,230.58
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	414	1,152	183.79
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	298	1,938	850.57
7.	वन एवं पर्यावरण	वानिकी एवं वन्य जीव	140	548	593.73
8.	जल संसाधन	जल दर	217	941	689.51
9.	ईख	ईख	56	134	43.36
कुल			**4,150**	**21,968**	**7,876.02**

यहाँ तक कि दिसम्बर 2009 तक निर्गत किए गए 1,577 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के एक माह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने के साथ–साथ निर्धारित समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाये।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति को त्वरित और उनका अनुश्रवण करने के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों (विभिन्न अवधियों के दौरान) का गठन किया। वर्ष 2009–10 में लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें एवं निष्पादित कंडिकायें निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की सं0	निष्पादित कंडिकाओं की सं0	राशि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर	5	311	13.90
भू–राजस्व	3	89	4.11
कुल	**8**	**400**	**18.01**

विभागीय लेखापरीक्षा समितियों द्वारा बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर के ₹ 2,571.82 करोड़ के प्रभाव वाले 5,315 लंबित कंडिकाओं के विरूद्ध मात्र ₹ 13.90 करोड़ (0.54 प्रतिशत) से सन्निहित 311 कंडिकाएँ एवं भू–राजस्व के 6,518 लंबित कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 773.55 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4.11 करोड़ (0.53 प्रतिशत) से सन्निहित मात्र 89 कंडिकाएँ ही निष्पादित किए जा सके। अनुरोध किये जाने के बावजूद भी वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य उत्पाद एवं परिवहन विभागों में इस प्रकार की कोई बैठक नहीं की जा सकी।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.2.3 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना

विभिन्न कर/राजस्व प्राप्तियाँ कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है और साधारणतया लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने के एक माह पूर्व ही विभाग को सूचनाऐं भेजी जाती है, जिससे कि लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेख तैयार रख सकें।

वर्ष 2009–10 के दौरान आठ राजस्व शीर्षों से संबंधित 41 कार्यालयों के 186 कर निर्धारण अभिलेख/अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इन सभी मामलों में सन्निहित राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इन मामलों का वर्षवार विवरणी **परिशिष्ट–I** में दिया गया है।

1.2.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश निर्गत (अगस्त 1967) किया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजें। प्रधान महालेखाकार प्रारूप कंडिकाओं को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिकाओं के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 24 प्रारूप कंडिकाओं तथा दो समीक्षाओं को संबंधित विभागों के सचिवों को मई और सितम्बर 2010 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किया गया था। विभिन्न विभागों के सचिवों ने दो समीक्षाओं, 12 प्रारूप कंडिकाओं का जवाब भेजा एवं पाँच प्रारूप कंडिकाओं का आंशिक जवाब प्रेषित किया जबकि सात प्रारूप कंडिकाओं का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इन्हें विभाग/सरकार के उत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.2.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

सरकारी विभागों को लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण (विभागीय टिप्पणी) तैयार करना है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने के तीन महीने के अन्दर इसे लोक लेखा समिति को भेजी जानी है।

हमने स्थिति की समीक्षा की एवं पाया कि अक्टूबर 2010 तक 12 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2008–09 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 161 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि एक माह से लेकर 16 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्रम सं0	विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथियाँ	विभागीय टिप्पणियों के भेजे जाने की अंतिम तिथि	कंडिकाओं की संख्या जो विभागीय टिप्पणियों के लिए बकाये थे	विलम्ब (माह में)
1.	वित्त	2003–04 से 2004–05	दिसम्बर 2005 से मार्च 2006	मार्च 2006 से जून 2006	2	52 से 55
2.	वित्त (वाणिज्यकर)	1993–94, 2000–01 से 2008–09	दिसम्बर 1995, दिसम्बर 2003 से जुलाई 2010	मार्च 1996, मार्च 2004 से अक्तूबर 2010	22	1 से 175
3.	राज्य उत्पाद	1990–91 से 2008–09	मार्च 1994 से जुलाई 2010	जून 1994 से अक्तूबर 2010	48	1 से 196
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार	2005–06 से 2008–09	जुलाई 2007 से जुलाई 2010	अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2010	22	1 से 36
5.	निबंधन	1996–97, 2000–01, 2002–03 से 2006–07, 2008–09	जुलाई 1998, दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से मार्च 2008, जुलाई 2010	अक्तूबर 1998, मार्च 2004, मार्च 2005 से जून 2008, अक्तूबर 2010	9	1 से 144
6.	परिवहन	1996–97, 1998–99, 2000–01 से 2008–09	जुलाई 1998, जुलाई 2000, दिसम्बर 2003 से जुलाई 2010	अक्तूबर 1998, अक्तूबर 2000, मार्च 2004 से अक्तूबर 2010	5	1 से 144

7.	खान एवं भूतत्व	2000–01 से 2008–09	दिसम्बर 2003 से जुलाई 2010	मार्च 2004 से अक्तूबर 2010	24	1 से 79
8.	वन एवं पर्यावरण	2000–01 से 2007–08	दिसम्बर 2003 से जुलाई 2009	मार्च 2004 से अक्तूबर 2009	9	12 से 79
9.	जल संसाधन	1994–95 से 1998–99, 2000–01, 2002–03 से 2008–09	जुलाई 1996 से जुलाई 2000, दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से जुलाई 2010	अक्तूबर 1996 से अक्तूबर 2000, मार्च 2004, मार्च 2005 से अक्तूबर 2010	15	1 से 168
10.	गृह (पुलिस)	1998–99 एवं 2005–06	जुलाई 2000 एवं जुलाई 2007	अक्तूबर 2001 एवं अक्तूबर 2007	2	36 से 120
11.	शहरी विकास	1997–98	अगस्त 1999	नवम्बर 1999	1	131
12.	कृषि	2005–06	जुलाई 2007	अक्तूबर 2007	2	36
कुल					**161**	

विलम्ब से जमा किया गया विभागीय टिप्पणी इस बात का द्योतक है कि कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राशि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई नहीं की, इनमें से कुछ की वसूली अब कालातित हो सकती है।

1.2.6 पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2004–05 एवं 2008–09 के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 1,253.37 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2010 तक मात्र ₹ 4.25 करोड़ की ही वसूली हुई थी जैसाकि नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि
2004–05	176.92	56.63	0.67
2005–06	304.68	8.07	1.26
2006–07	206.42	61.40	0.82
2007–08	523.80	417.49	1.48
2008–09	838.92	709.78	0.02
कुल	**2,050.74**	**1,253.37**	**4.25**

संबंधित विभागों ने माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2010) के बावजूद, वसूली की अद्यतन स्थिति सूचित नहीं किए (दिसम्बर 2010)।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में **खनन एवं भूतत्व विभाग** से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया। विगत दस वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 1999–2000 से 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.3.1 एवं 1.3.2 में उल्लिखित है:

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

नवम्बर 2010 तक विगत दस वर्षों के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि0 प्र0	कंडिकाएँ	राशि	नि0 प्र0	कंडिकाएँ	राशि	नि0 प्र0	कंडिकाएँ	राशि	नि0 प्र0	कंडिकाएँ	राशि
1999–2000	282	1,671	23.25	7	40	174.26	15	80	49.61	274	1,631	147.90
2000–01	274	1,631	147.90	10	52	14.58	–	–	–	284	1,683	162.48
2001–02	284	1,683	162.48	15	66	32.63	–	157	88.00	299	1,592	107.11
2002–03	299	1,592	107.11	17	113	21.22	–	26	0.04	316	1,679	128.29
2003–04	316	1,679	128.29	17	93	87.54	–	–	–	333	1,772	215.83
2004–05	333	1,772	215.83	20	125	99.46	–	–	–	353	1,897	315.29
2005–06	353	1,897	315.29	16	80	36.20	–	–	–	369	1,977	351.49
2006–07	369	1,977	351.49	7	93	99.33	212	894	14.88	164	1,176	435.94
2007–08	164	1,176	435.94	34	77	51.48	–	3	0.003	198	1,250	487.42
2008–09	198	1,250	487.42	51	220	93.47	3	10	1.66	246	1,460	579.23

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के अत्यधिक संचयन को देखते हुए लंबित प्रारूप कंडिकाओं, समीक्षाओं, न्यायालय में लंबित मामलों तथा गबन से संबंधित मामलों, जिसमें लोक लेखा समिति/माननीय न्यायालयों का अंतिम निर्णय बाकी है, को छोड़कर वर्ष 1995–96 तक के निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी विभागों पर छोड़ दिया गया था (अगस्त 2006)।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले की स्थिति नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की सं0	कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की सं0	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि
1999–2000	3	127.98	1 (आंशिक)	0.21
2000–01	2	9.57	शून्य	शून्य
2001–02	3	10.83	शून्य	शून्य
2002–03	5	21.16	2	5.40
2003–04	3	9.44	2	9.36
2004–05	2	2.69	शून्य	शून्य

2005–06	2	6.51	1	2.04
2006–07	1	38.32	1 (आंशिक)	26.21
2007–08	4	2.38	2	0.46
2008–09	2	2.00	2 (आंशिक)	1.31
कुल	**27**	**230.88**	**11**	**44.99**

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि वर्ष 1999–2000 से 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 27 कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 230.88 करोड़ राशि में से सरकार/विभाग ने ₹ 44.99 करोड़ से सन्निहित 11 कंडिकाओं को स्वीकार किया जिसके विरूद्ध कोई वसूली नहीं की जा सकी।

सरकार/विभाग सरकारी राजस्व की वसूली के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

1.3.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन समीक्षाओं को संबंधित विभागों/सरकार को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन समीक्षाओं पर बाह्य सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रुप देने के समय विभागों/ सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

खनन एवं भूतत्व विभाग की प्राप्तियों पर वर्ष 2001–02 एवं 2006–07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नौ अनुशंसाओं से समाहित दो समीक्षायें शामिल थी। अनुशंसाओं की स्वीकृति और उनपर की गई कार्रवाई के संबंध में हमलोग उत्तर की प्रतीक्षा में हैं (दिसम्बर 2010)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की सं0	स्वीकृत अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
2001–02	खनिज प्राप्तियाँ	4	सरकार/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।	–
2006–07	खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ	5	सरकार/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।	–

1.4 लेखापरीक्षा योजना

राजस्व की स्थिति, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रवृत्ति एवं अन्य मापदंडों के अनुसार विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम वाले ईकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। जोखिम के विश्लेषण जिसमें सरकार के राजस्व और कर प्रशासन के विवेचनात्मक विषयों जैसे, बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेतपत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कराधान सुधार समितियों की अनुशंसाओं, विगत पाँच वर्षों के राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषताएँ, लेखापरीक्षा का क्षेत्र और विगत पाँच वर्षों के दौरान उसके प्रभाव आदि शामिल हैं, के आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार किया जाता है।

वर्ष 2009–10 के दौरान सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में 1,012 लेखापरीक्षित ईकाइयाँ थी, जिसमें से हमने वर्ष 2009–10 में 271 ईकाइयों की योजना बनाई एवं लेखापरीक्षा किया, जो कुल लेखापरीक्षित ईकाइयों का 26.78 प्रतिशत था। विस्तृत विवरणी **परिशिष्टि–II** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त हमने उन प्राप्तियों के कर प्रशासन की प्रभावकारी जाँच हेतु दो निष्पादन समीक्षाएँ भी किया।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2009–10 की अवधि में हमने वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहन, वन और अन्य विभागीय कार्यालयों के 271 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और 2,092 मामलों में सन्निहित ₹ 2,399.68 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि का अवलोकन किया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,892 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 1,784.41 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से वर्ष 2009–10 के लेखापरीक्षा के क्रम में 1,774 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 1,732.70 करोड़ और शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे। विभागों ने वर्ष 2009–10 के दौरान 119 मामलों में ₹ 0.67 करोड़ की वसूली की।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के उद्ग्रहण नहीं किए जाने/ कम उद्ग्रहण किए जाने से संबंधित ₹ 977.82 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 24 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) और 'राज्य उत्पाद राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' एवं 'मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण' पर दो निष्पादन समीक्षाएँ शामिल हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 96.16 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 4.49 लाख की वसूली की गई। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)। इन कंडिकाओं/समीक्षाओं को अनुवर्ती अध्याय II से VI में चर्चा की गई है।